



2026:AHC:15642

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44976 / 2025

मसूर

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: भरत सिंह,

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भरत सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रामेन्द्र पाल सिंह को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक मसूर की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 429 सन् 2014 (वाद संख्या 2512 सन् 2018), धारा 147, 148, 149, 307, 336, 342, 427 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम तथा धारा 3/5 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना उसहैत, जनपद बदायूं में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है तथा उसे उक्त वाद में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 24.10.2025 से निरुद्ध है। यह भी कहा गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त-फारूख, इसराइल, नूर मोहम्मद एवं मुश्ताक-को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 08.01.2026, 12.01.2026, 10.12.2025 एवं 12.01.2026 को जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी जमानत आदेशों की छायाप्रतियां अभिलेख पर ली गई हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के न्याय से पलायन करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु यह स्वीकार किया कि समान परिस्थितियों वाले उपर्युक्त सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के प्रभावित होने की आशंका तथा प्रथमदृष्टया स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत दिए जाने का मामला बनता है।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक मसूर को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी मुचलका तथा दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

1. आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को दबाव/धमकी नहीं देगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से छूट न कर दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अवर न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 19 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।